

## अधिसूचित सेवाओं में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों को 250 से 5000 तक लग सकता है जुर्माना : टीसी गुप्ता



### तेजपाल शर्मा/गुड़गांव मेल

अम्बाला, 7 सितंबर। हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता के साथ-साथ पब्लिक की संतुष्टि के साथ उपलब्ध करवाना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। टी.सी. गुप्ता आज एस.डी. कालेज अम्बाला छावनी में हरियाणा सेवा अधिकार बैठक एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि अपने सम्बोधन में बोल रहे थे। मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि वर्ष 2014 में आयोग की स्थापना की गई थी और उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद तीन महीने पहले ही आयोग में बतौर मुख्य आयुक्त के तौर पर कमान संभाली है।

उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं के साथ-साथ अधिकारों के बारे में लोगों में सतर्कता एवं जागरूकता आए इसके दृष्टिगत उन्हें अवगत करवाकर लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर सरकारी सेवाओं से सम्बन्धित 546 अधिसूचित सेवाएं हैं जिनमें से 277 सेवाएं अंतोदय सरल पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। सरकारी सेवाओं का लाभ और सुगमता से मिले इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चण्डीगढ़ से आस यानि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने का काम किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रार्थी द्वारा यदि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने में कोई समस्या आती है तो ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उसकी अपील दायर हो जायेगी। निर्धारित मापदंडों एवं नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए उसकी शिकायत का निवारण होगा।

टी.सी. गुप्ता ने यह भी बताया कि आयोग प्रार्थी की शिकायत का समयबद्ध तरीके से निवारण न होने पर नियमों के तहत 20 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है। साथ ही प्रार्थी को 5 हजार रुपये की राशि भी दिलवा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे बेहतर तरीके से कार्य करते हुए लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवाने में सफल होने वाले कार्य को तेजी से करें।